राजेश कुमार, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ की अध्यक्षता में दिनांक 27.01.2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे लम्बित डी०सी० विपत्र की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

यथा पंजी के अनुसार।

1. लम्बित डी०सी० विपत्र की समीक्षा के क्रम में कोषागार पदाधिकारी -सह- नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया **कि दिनांक 31.12.2014 तक समायोजन हेतु कुल लंबित डी०सी० विपत्र की राशि मो० 414580069.57 रूपये है जिसमें पुरानी राशि (सितम्बर 2011 के पहले) 36 करोड़ है।** जनवरी 2015 में समायोजन शून्य है। समीक्षोपरांत पाया गया कि समायोजन की स्थिति अंसतोषजनक एवं खेदजनक है।

2. लम्बित डी०सी० विपत्र की समीक्षा के क्रम में यह महसूस किया गया कि कई निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को लम्बित डी०सी० विपत्र के समायोजन की सही जानकारी नहीं है। तद्आलोक में **कोषागार पदाधिकारी -सह- नोडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन अपराह्न 4.00 बजे में लम्बित डी०सी० विपत्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का सुविधानुसार अपने स्तर से रोस्टर तैयार कर बैठक करेंगे एवं लंबित ए०सी० विपत्र के समायोजन में हो रहे दिक्कत की जानकारी प्राप्त कर दिक्कतों का समाधान कराते हुए समायोजन की कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगे।**

3. सबसे अधिक लम्बित ए०सी० विपत्र रखने वाले निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निम्न प्रकार हैं :-

(1) सहायक निदेशक, जिला सा०सु०कोषांग, पूर्णियाँ	:- 34948000.00
(2) नजारत उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ	:- 33043856.00
(3) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, पूर्णियाँ	:- 29875800.00
(4) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्र0-2, पूर्णियाँ	:- 23356760.00
(5) कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पूर्णियाँ	:- 17894500.00
(6) जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णियाँ	:- 12429147.00
(7) उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णियाँ	:- 12264000.55
(8) असैनिक श0 चिकित्सक-सह-मु0चि0पदा0, पूर्णियाँ	:- 8608990.00
(9) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बनमनखी	:- 5547997.00
(10) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, के0नगर	:- 5627462.00
(11) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमौर	:- 5270950.00
(12) जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ	:- 5129642.00
(13) जिला योजना पदाधिकारी, पूर्णियाँ	:- 5000000.00

(14) अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, पूर्णियाँ :- 4610595.00

(15) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, श्रीनगर :- 3664220.00

(16) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना), पूर्णियाँ :- 3274000.00

(17) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बी0कोठी :- 2776284.00

(18) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रूपौली :- 2327940.00

(19) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बायसी :- 2250428.00

(20) संयुक्त कृषि निदेशक (पाट), पूर्णियाँ :- 2050000.00

पिछली बैठक में दिये गये निदेश का अनुपालन प्रायः किसी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी पदाधिकारियों के साथ-साथ अन्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर लंबित राशि का समायोजन कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि अपेक्षित प्रगति अगली बैठक में परिलक्षित नहीं होती है तो संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

4. समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आयी कि कई कार्यालयों में समायोजन हेतु लंबित राशि अभी भी अग्रिम के रूप में विभिन्न पदाधिकारियों के पास लंबित है। इस तरह के मामलों में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि **पूरी छानबीन कर अग्रिम के अनुरूप कार्य नहीं हुआ हो तो संबंधित अग्रिमधारकों से अग्रिम वसूल कर ए0सी0 विपत्र का समायोजन करना सुनिश्चित करेंगे।**

5. कई निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि समायोजन हेतु डी0सी0 विपत्र महालेखाकर, बिहार, पटना को भेजा गया है, ऐसे मामलों में स्पष्ट निदेश दिया गया कि **संबंधित पदाधिकारी व्यक्गित अभिरूचि लेकर महालेखाकार, बिहार, पटना में समायोजन करायेंगे। विभागीय बैठकों में जब पदाधिकारी पटना जाते हैं तो उप महालेखाकार से मिलकर समायोजन की कार्रवाई भी करें।**

सधन्यवाद् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक 208/स्था0 पूर्णियाँ, दिनांक 27/01/15

प्रतिलिपि :- सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ-सह-नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं सदृश कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता/उपविकास आयुक्त, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

Rajesh.
27/01/2015
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।